(125)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 197–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–10–2011 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला धार प्रकरण कमांक 02/2011–12/अ–21.

मैसर्स रूचि स्ट्रीप्स एण्ड एलायज लिमिटेड तर्फे
अधिकृत प्रतिनिधि ओमप्रकाश पिता मोहनलाल शर्मा
ऑफिस 501, महाकोष हाउस
7/5, साउथ तुकोगंज, इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

मैसर्स शुभम मर्केन्टाईल्स प्रा.लि.
205, डी–वीनानगर मलाड
पश्चिम मुम्बई .....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/5/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा कलेक्टर, धार के समक्ष संहिता की धारा 165 (6–क) के के अंतर्गत ग्राम सेजवाया तहसील व जिला धार स्थित सर्वे कमांक 21/1 व सर्वे कमांक 18/1 भूमि पर आवेदक कम्पनी के कर्मचारियों के लिए निवास हेतु आवासीय कॉलौनी बनाई गई है, और सर्वे कमांक 30 रिक्त अवस्था में है । उक्त भूमियां आवेदक द्वारा विधिवत कलेक्टर से अनुमति लेकर कय की गई है, और अब वे प्रश्नाधीन भूमि रूपये रूपये 79,85,500/– में अनावेदक को विकय करने का अनुबंध किया गया है, अतः संहिता की धारा 165 (6–क) के अंतर्ग प्रश्नाधीन भूमि को विकय करने की

अनुमति दी जाये, क्योंकि उक्त भूमियां अधिसूचित क्षेत्र में हैं । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 02/2011–12/अ–27 दर्ज कर दिनांक 14–10–2011 को आदेश पारित कर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की सशर्त अनुमति दी गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों की जांच हेतु प्रतिवेदन में कीमत एक करोड़ पचास लाख दर्शाई गई है, परन्तु कलेक्टर द्वारा सात लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कीमत निर्धारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर द्वारा जांच प्रतिवेदन के विपरीत आदेश पारित करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीका की जाये ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है और अंतिम स्वरूप के आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत अपीलीय आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रतिबंधित है, ऐसी स्थिति में यह निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर